न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 12/2022 प्रार्थना पत्र 14(4)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. चेतराम पुत्र गंगासहाय
2. मंजू देवी पुत्री गंगासहाय
3. रजनी पुत्री गिर्राज

} जाति जोगी निवासी बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

(प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई दिनांक 02.04.2005 जिसके तहत प्रार्थीगण चेतराम पुत्र गंगासहाय वगैरा को ग्राम बिवाई में खसरा नं. 1282/1164 रकबा 0.50 है. भूमि का आवंटन किया गया है)

उपस्थिति : श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

दिनांक: 19.02.2026

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र 14(4) के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम बिवाई तहसील बसवा जिला दौसा में अप्रार्थीगण चेतराम पुत्र गंगासहाय वगैरा को भूमि खसरा नम्बर 1282/1164 रकबा 0.50 है. दिनांक 02.04.2005 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 02.08.2005 दर्ज किया जाकर जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता संख्या 293 पर गैर खातेदारी का खाता दर्ज किया गया है। उक्त आवंटित भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का बिवाई से करवाई जिसकी मौका रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होना पाया तथा मौके पर भूमि रास्ते के काम में आना, मौके पर भूमि काश्त नहीं होना पाया गया। आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं होने से एवं भूमि रास्ते के उपयोगार्थ होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र 14(4) पेश होने पर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार अवसर दिये जाने के बाद भी अप्रार्थीगण ना तो स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए ना ही जवाब पेश कराया गया और ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। तत्पश्चात् एकतरफा कार्यवाही की जाकर राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बिवाई तहसील बसवा में गंगासहाय पुत्र नानगराम जोगी निवासी बिवाई को खसरा नम्बर 1282/1164 में रकबा 0.50 है. भूमि दिनांक 02.04.2005 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। उक्त आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 02.08.2005 दर्ज किया गया है। उक्त आवंटी के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 534 वर्तमान में चेतराम पुत्र गंगासहाय, मंजू देवी पुत्री गंगासहाय, रजनी पुत्री गिर्राज जाति जोगी निवासी बिवाई के नाम जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में खाता संख्या 293 में गैर खातेदार दर्ज है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

Scanned with OKEN Scanner

उक्त आवंटित की गई भूमि की मौका जांच पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का बिवाई से करवाने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना पाया गया है। आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन शर्तो की पालना नहीं होना पाया जाने के कारण आवंटी के नाम किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि को सिवायचक दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः आवंटन दिनांक 02.04.2005 निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अनुसार ग्राम बिवाई तहसील बसवा में गंगासहाय पुत्र नानगराम जोगी निवासी बिवाई को खसरा नम्बर 1282/1164 में रकबा 0.50 है. भूमि दिनांक 02.04.2005 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी। तत्पश्चात् आवंटी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 02.08.2005 दर्ज किया गया है। उक्त आवंटी के फौत हो जाने पर नामान्तरकरण संख्या 534 दिनांक 05.10.2016 द्वारा चेतराम पुत्र गंगासहाय, मंजू देवी पुत्री गंगासहाय, रजनी पुत्री गिर्राज जाति जोगी निवासी बिवाई के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। अप्रार्थीगण जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 में खाता संख्या 293 में गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 21.08.2019 के अनुसार मौके पर आवंटी गैर खातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है। खसरा गिरदावरी सम्वत 2071–76 में भी उक्त भूमि पडत होना अंकित की गई है। आवंटन की शर्तो के मुताबिक आवंटी को भूमि आवंटन के दो वर्ष की अवधि में भूमि को सुधार कर उस पर काश्त करना अनिवार्य है, इस शर्त के साथ भूमि आवंटन किया जाना किन्तु आवंटी का उक्त भूमि पर ना तो कभी कोई कब्जा रहा और ना ही भूमि पर आवंटी के द्वारा कोई काश्त की गई। उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण तहसीलदार बसवा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 02.04.2005 बाबत् खसरा नं. 1282/1164 रकबा 0.50 है. ग्राम बिवाई तहसील बसवा निरस्त किया जाता है। मूल आवंटन अभिलेख मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के भिजवाया जाकर तहसीलदार बसवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

19/2/26
(अरविन्द शर्मा)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

Scanned with OKEN Scanner